

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर  
बईजलास दीपक मेहता, आर.ए.एस.

उपवान

पत्रावली संख्या : 21/13 (वाद)

1. श्री नाथूलाल पिता दयालाल जी जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी आमली, सेगडिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0) .....वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता सुखलाल जी ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी सेगडिया, आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0) हाल मकान नं. 30-24 जगन्नाथपुरी इन्दौरा (मध्यप्रदेश)
2. श्री मोहनलाल पिता देवकिशन जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज0)
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, जिला उदयपुर(राज0)
5. पटवारी पटवार हल्का आमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)  
...प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 63(1),(4) राज.काश्तकारी अधिनियम  
मुकदमा न0 : 21/13 (वाद)

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु दीपक मेहता R.A.S. निनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता है।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.02.2019 को जारी की गई।



(दीपक मेहता)  
सहायक फीलक्टर एवं  
सहायक कलक्टर  
कार्यपालक सजिस्ट  
(फास्ट ट्रेक) मावली  
(फास्ट ट्रेक) मावली